मतदाता सुविधा हेतु राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP)

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर मतदाताओ हेतु निम्न सुविधाऐं ऑनलाईन उपलब्ध है –

1. मतदाता सूची में अपना नाम खोजें।
2. पहली बार मतदाता या किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य एक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के कारण निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन (प्ररूप–6)
3. किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन (प्ररूप–6क)
4. मृत्यु/स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना नाम हटाने/किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन (प्ररूप–7)
5. निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट विशिष्टियों की शुद्धि के लिए आवेदन (प्ररूप–8)
6. निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए आवेदन (एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने के मामले में) (प्ररूप–8क)
7. मतदाता बनने हेतु किये गये आवेदन पत्र की स्थिति
8. अपना बूथ, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पता करना।
9. अपने बूथ लेवल अधिकारी का नाम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम पता करना।

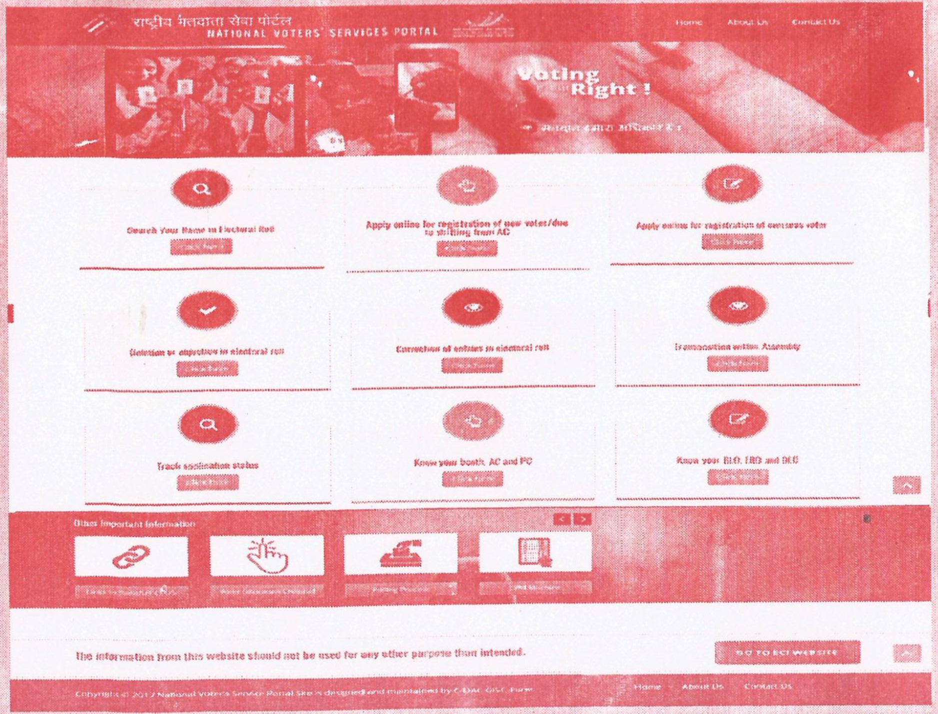

निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर

सत्यमेव जयते

भाग सं.- 32

निर्देशिका

बूथ लेवल अधिकारियों तक के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु पुस्तिका

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली

www.rajteachers.com

सामान्य अनुदेश

फार्म–6

प्ररूप–6 कौन दाखिल कर सकता है–

1. **कृपया नोट करें कि निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत केन्द्रों पर सशुल्क सेवाओं को छोड़कर आवेदन फॉर्म या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण हेतु फॉर्म को प्रोसेस करने के लिए भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।**
2. कोई भी भारतीय नागरिक जो संशोधित की जा रही निर्वाचक नामावली के संदर्भ में उस वर्ष की जनवरी के पहले दिन 18 वर्ष या उससे अधिक का हो गया है। उदाहरणार्थ, अर्हक तारीख के रूप में 01.01.2017 के संदर्भ में किए जा रहे संशोधन के लिए 01.01.2017 (अर्थात् 01.01.1999) या उससे पैदा हुए व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाला व्यक्ति निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने का पात्र है और इसलिए वह फॉर्म–6 भर सकता है। तथापि, निर्वाचिक नामावली के सतत् अध्यतन/गैर–संशोधन अवधि के दौरान आवेदन दाखिल करते समय 18 वर्ष या उससे अधिक की गणना (आवेदन फॉर्न में उल्लिखित) उस वर्ष की 01 जनवरी, अर्हक तारीख के संदर्भ में की जानी चाहिए जिसके आधार पर निर्वाचिक नामावलियों को अंतिम बार संशोधित और प्रकाशित किया गया हो।
3. **कोई भी भारतीय नागरिक जो उपर्युक्त अनुसार पात्र है, भारत में अपने सामान्य निवास स्थान पर कहीं भी अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करवा सकता है।**
4. कोई भी व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र, जहां वह निर्वाचक के रूप में पहले रजिस्ट्रीकृत है, से बाहर अपने रहने के सामान्य निवास को बदलता है। यदि

www.rajteachers.com

कोई व्यक्ति उसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवास स्थान को बदलता है तो आवेदन फॉर्म 6 में न करके फॉर्म 8क में किया जाना चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि पता बदलने पर (रहने का सामान्य निवास) फॉर्म–6 या फॉर्म–8क को जमा करते समय नए पते के विवरण को छोड़कर नाम और पूर्व पते (रहने का सामान्य निवास) के संबंध में विद्यमान निर्वाचक नामावली के नाम और विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करना चाहिए। विद्यमान निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि में संशोधन के लिए आवेदन केवल फार्म 8 में ही किया जाना चाहिए।

5. **सेवा मतदाता :** सेवा कार्मिक को अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में अपने और अपनी पत्नी, यदि वह उसके साथ रहती है, के संबंध में सेवा निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए यथा मामला फॉर्म 2/2क/3 में आवेदन करना चाहिए। सेवा कार्मिक जो अब तक अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली के अंतिम हिस्से में अब तक पंजीकृत नहीं हो पाए हैं उनके पास यह विकल्प होता है कि वे अपनी तैनाती के स्थान की निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्टर करा लें बशर्ते कि वह 'पीस स्टेशन' हो।

6. सेवा कार्मिक जो 'पीस स्टेशन' पर अपनी तैनाती के स्थान पर निर्वाचक नामावली में साधारण निर्वाचक के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन कर रहा है, उसे फॉर्म–6 के साथ एक घोषणा-पत्र (अनुबंध–I) भी प्रस्तुत करना होगा।

फॉर्म–6 की उपलब्धता

फॉर्म ईआरओ/एईआरओ कार्यालयों/विनिर्दिष्ट स्थानों/प्राधिकृत केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। इन्हें एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् http://www.nvsp.in से या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://eci.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

फॉर्म–6 को कब भरा जा सकता है।

निर्वाचन नामावलियों के संशोधन के दौरान, निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के मसौदा प्रकाशन के पश्चात् इसे दाखिल किया जा सकता है। आवेदन को दावे और

आपत्तियां दाखिल कराने के लिए उपलब्ध कराई गई विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर दाखिल किया जाएगा। संशोधन कार्यक्रम की घोषणा होने पर उपर्युक्त अवधि के बारे में उचित प्रचार किया जाएगा। संशोधन कार्यक्रम के दौरान आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल की जाएगी। गैर–संशोधन अवधि के दौरान आवेदन को डुप्लीकेट प्रतियों में दाखिल किया जाएगा और इसे वर्ष भर दाखिल किया जा सकता है। **ऑनलाइन आवेदन के लिए डुप्लाकेट में आवेदन दाखिल करने या ऑफलाइन मोड के माध्यम से अलग से व्यक्तिगत रूप में फॉर्म जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।**

फॉर्म–6 को कहां दाखिल किया जाए

संशोधन अवधि के दौरान आवेदन को उन विनिर्दिष्ट स्थानों जहां मसौदा निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है (अधिकतर मतदान केन्द्र अवस्थितियों) या निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत स्थानों तथा निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों पर दाखिल किया जा सकता है। आवेदन को निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीसपी) अर्थात् http://www.nvsp.in या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी जमा कराया जा सकता है (आयोग की वेबसाइट के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट का लिंक अर्थात् http://www.eci.nic.in/eci/main 1/inks.aspx उपलब्ध कराया गया है)। **ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन को दो प्रतियों में दाखिल करने या ऑफलाइन मोड़ के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।**

1. जब संशोधन कार्यक्रम नहीं चल रहा होता है तब आवेदन को केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या उपर्युक्त अनुसार ऑनलाइन माध्यम से दाखिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बूथ लेवल अधिकारी भी साल भर फार्म–6 इकट्ठे कर सकते हैं और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यथाशीघ्र नियमित आधार पर इसका एकाउंट दे सकते हैं।

www.rajteachers.com

फॉर्म–6 को किस प्रकार से भरें

1. आवेदन को उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक पंजीकरण चाहता है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम का इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए रिक्त स्थान पर उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. पहली बार मतदाता बनने पर आवेदन करने या किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरित होने पर आवेदक को इस प्रयोजनार्थ दिए गए उपयुक्त बॉक्स में चिन्हित करना चाहिए और घोषणा–पत्र वाले भाग में पूर्ण विवरण भरने चाहिए अन्यथा आवेदन प्रारंभिक चरण पर ही अस्वीकृत हो सकता है।
3. मद संख्या (क) से (ञ) में ब्यौरे उपलब्ध कराना आवश्यक है और इसलिए उपयुक्त मद के सामने पूर्ण सूचना अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
4. निर्वाचक नामावली में दिखाई पड़ने वाले नाम एवं उसकी वर्तनी के अनुसार ही एकदम सही नाम व वर्तनी तथा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत किये जाने चाहिए। पहले बॉक्स में पूरा नाम और उपनाम को दूसरे बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। यदि किसी आवेदक का उपनाम नहीं है तो उपनाम वाले बॉक्स को खाली छोड़ देना चाहिए। उन मामलों को छोड़कर जहां जाति नाम को निर्वाचक के नाम या उपनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जाति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। नाम से पहले श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम, पंडित इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक को अपने नाम का उल्लेख अंग्रेजी और राज्य की शासकीय भाषा और यदि संभव हो तो दोनों में ही करना चाहिए।

संबंधी का नाम

अविवाहित महिला आवेदक के मामले में पिता/माता के नाम का उल्लेख किया जाएगा. विवाहित महिला आवेदक के मामले में अधिमानतः पति के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। स्तंभ में लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें।

आयु और जन्म तिथि

1. आवेदक की आयु उस वर्ष की जनवरी के पहले दिन जिसके संदर्भ में निर्वाचक नामावली संशोधित की जा रही है, को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दिन/माह/वर्ष में उपलब्ध कराए गए स्थान में जन्म तिथि आंकड़ों में भरी जाए। यदि आवेदक की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच है तो उसकी जन्म तिथि के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति उनकी जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में संलग्न की जा सकती है:
   - (i) नगर पालिका प्राधिकारी या जन्म मृत्यु पंजीयक द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र अथवा बैपटिज्म प्रमाण–पत्र; या
   - (ii) आवेदक के अंतिम स्कूल (सरकारी/मान्यता–प्राप्त) से या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से जन्म प्रमाण–पत्र; या
   - (iii) यदि कोई व्यक्ति कक्षा 10 या उससे अधिक पढ़ा हुआ है तो कक्षा 10 की मार्कशीट की प्रति, यदि उसमें जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में जन्म तिथि है तो, देनी चाहिए; या
   - (iv) कक्षा 8 की मार्कशीट, यदि उसमें जन्मतिथि है तो; या
   - (v) कक्षा 5 की मार्कशीट, यदि उसमें जन्मतिथि है तो; या
   - (vi) भारतीय पासपोर्ट; या
   - (vii) पैन कार्ड; या
   - (viii) ड्राईविंग लाईसेंस; या
   - (ix) यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार पत्र/कार्ड।
2. यदि उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो आवेदक के किसी एक अभिभावक (थर्ड जेंडर श्रेणी में निर्वाचक के गुरु द्वारा) अनुबंध–II (दिशा–निर्देशों के साथ संलग्न) में दिए गए निर्धारित फार्मेट में घोषणा–पत्र दिया जा सकता है। उन मामलों में जहां आयु के साक्ष्य के रूप में अभिभावकीय घोषणा–पत्र दिया जाता है वहां आवेदक को स्वयं ही बूथ लेवल अधिकारी/

www.rajteachers.com

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उपर्युक्त में से कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है और कोई भी अभिभावक जिन्दा नहीं है तो आवेदक द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या संबंधित नगर निगम/नगर समिति के अध्यक्ष द्वारा दिए गए उसकी आयु संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न किए जा सकते हैं।

3. ऐसे मामलों में जहां आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक है और उसे देखने में वह शारीरिक रूप से उतना ही लगता है तो बूथ लेवल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दिए गए आयु संबंधी घोषणा-पत्र को ही आयु के साक्ष्य के रूप में माना जाएगा और किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य का आग्रह नहीं किया जाएगा। आयु को उस वर्ष जब निर्वाचक नामावली को संशोधित किया जा रहा हो/या संशोधित किया जा चुका हो, के संदर्भ में अर्हक तारीख अर्थात् 1 जनवरी को वर्षों और पूरे किए गए महीने में इंगित की जानी चाहिए।

4. यदि आवेदक पहली बार नए पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा है और वह उस वर्ष की अर्हक तारीख को 21 वर्ष से अधिक का है और भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम शामिल नहीं है तो अनुबंध-III के अनुसार फार्मेट में घोषणा-पत्र दिया जाएगा अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा।

लिंग

'पुरुष'/'महिला'/'थर्ड जेंडर' के लिए उपलब्ध कराए गए उपयुक्त बॉक्स में लिंग को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए।

वर्तमान सामान्य निवास का स्थान

1. आवेदक को सामान्य निवास जहां वह वर्तमान में रहता है और स्वयं को वहां पंजीकृत कराना चाहता है का पूरा डाक पता, इस विशेष प्रविष्टि के लिए उपलब्ध कराए गए उपयुक्त स्थान पर भरना चाहिए।

2. निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज की प्रति सामान्य निवास के साक्ष्य के रूप में इसके साथ संलग्न की जानी चाहिए:
   (i) बैंक/किसान/डाकघर की वर्तमान पास बुक; या
   (ii) राशन कार्ड; या
   (iii) पासपोर्ट; या
   (iv) ड्राइविंग लाइसेंस; या
   (v) आयकर आंकलन आदेश; या
   (vi) नवीनतम किराया समझौता; या
   (vii) पते के लिए पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल जो कि आवेदक के स्वयं के नाम या उनके निकटतम संबंधी जैसे कि अभिभावक इत्यादि के नाम पर हो; या
   (viii) सामान्य निवास के पते पर आवेदक के नाम पर कोई भी डाक/पत्र/मेल जो कि भारतीय डाक विभाग के माध्यम से भेजा गया हो।

3. **मकान संख्या: यदि आवेदक के निवासी की कोई मकान संख्या नहीं है तो मकान संख्या के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि मकान संख्या नहीं दी गई है।**

4. **बेघर भारतीय नागरिक-** शेड/फुटपाथ पर रहने वाले बेघर भारतीय नागरिक जिनके पास उनके सामान्य निवास का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, निर्वाचक नामावली में पंजीकरण कराने के पात्र हैं बशर्ते वे सामान्य रूप से वही रहते हों। ऐसे मामले में बूथ लेवल अधिकारी फॉर्म-6 में दिए गए पते पर एक से अधिक रातों को जाएंगे ताकि इस संबंध में सुनिश्चित किया जा सके कि बेघर व्यक्ति वास्तव मे दिए गए स्थान पर सोता है। तथापि, किसी बेघर विदेशी नागरिक की निर्वाचक नामावली में रजिस्टर होने की संभावना से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्देश है कि ऐसे सभी मामलों में जहां बेघर व्यक्तियों को निर्वाचक नामावलियों में शामिल किया जाता है वहां ऐसे व्यक्तियों के बयान को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें उनके जन्म स्थान और

www.rajteachers.com

जिस स्थान से वह रहने के लिए मौजूदा सामान्य निवास में स्थानांतरित हुआ है, के संबंध में पूछा जाएगा।

5. **सेक्स वर्कर्स भारतीय नागरिक** : बेघर भारतीय नागरिकों के मामले में, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में दिया गया है, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि उन सेक्स वर्कर्स भारतीय नागरिकों के मामले में, जिनके पास निवास स्थान का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होता है, से दस्तावेजी प्रमाण नहीं मांगा जाना चाहिए, तथापि बूथ लेवल अधिकारी दिए गए पते पर दौरा करके यह सुनिश्चित करेगा कि दावेदार वास्तव में उसी स्थान पर ही रहता है जो उसके फार्म–6 में दिया गया है और वह इस बारे में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को एक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो मामले पर तदनुसार निर्णय लेंगे।

6. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी, यदि अन्यथा अर्हक हों, होस्टल या मेस या लॉज में लगातार अधिक या कम समय तक रह रहे हों, केवल अल्प अवधि के लिए अपने सामान्य घर या निवास स्थान पर वापस जाते हों, को सामान्य रूप से उस स्थान का निवासी माना जाएगा जहां होस्टल या मेस या लॉज स्थित है। तथापि, यदि वे चाहें तो उनके पास अपने माता–पिता के साथ उनके निवास स्थान पर अपने पंजीकरण को धारण करने का भी विकल्प होगा। (गहन पुनरीक्षण के दौरान, विद्यार्थियों की गणना उनके होस्टल पर नहीं की जाएगी। उन्हें बाद में फार्म–6 में आवेदन करके वास्तविक विद्यार्थी और होस्टल निवासी प्रमाण–पत्र के साथ पंजीकृत किया जा सकता है) तथापि उक्त विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा पाठ्यक्रम केन्द्रीय/राज्य सरकारों/बोर्ड/विश्वविद्यालयों/डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और ऐसे पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि से कम के नहीं होने चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जो अपने को होस्टल मेस में पंजीकृत करवाना चाहते हैं, को एक वास्तविक घोषणा पत्र संलग्न करना होगा जिसे प्रधान अध्यापक/प्रिंसीपल/निदेशक/

रजिस्ट्रार/शैक्षणिक संस्थान के डीन द्वारा सम्यक् रूप से फार्म–6 के साथ प्रमाणित किया जाएगा (अनुलग्न IX में दिए गए नमूने के अनुसार)।

एपिक

1. जब कभी किसी भारतीय नागरिक का नाम पहली बार निर्वाचक नामावलियों में शामिल किया जाता है, उसे बिना किसी अलग आवेदन के स्वतः रूप से एपिक जारी किया जाएगा और उचित पावती के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुफ्त में भेज दिया जाएगा।

2. **स्थानांतरण पर प्रतिस्थापन एपिक** : यदि आवेदक ने अपना पता बदल दिया हो और ऐसे स्थानांतरण पर फॉर्म–6 या फार्म 8क पर आवेदन करते समय एपिक संख्या, यदि उसे पूर्व निर्वाचन क्षेत्र/पते पर पहले ही जारी किया गया हो, तो इसे उपयुक्त स्थान पर उल्लिखित किया जाना चाहिए। यदि वह नए पते के साथ प्रतिस्थान एपिक चाहता है तो उसे फॉर्म–6 या फॉर्म–8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीकरण के पश्चात् प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क और पुराने ईपीआईसीके साथ फार्म ईपीआईसी–001 में आवेदन करना चाहिए (अनुलग्नक–V में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।

3. **सुधार के बाद प्रतिस्थापन एपिक** : यदि फार्म 8 के माध्यम से प्रविष्टियों में नए ईपीआईसी में संशोधन किया जाना अपेक्षित हो तो ईआरओ द्वारा संगत प्रविष्टि में संशोधन करने के पश्चात पुराने ईपीआईसी और अपेक्षित शुल्क के साथ फार्म ईपीआईसी–001 (ऊपर दिए गए नमूने के अनुसार) में ऐसे नए ईपीआईसी को जारी करने के लिए एक आवेदन किया जाना चाहिए।

4. **गुम होने/विकृत होने/नष्ट होने के मामले में प्रतिस्थापन एपिक** : इस मामले में भी, नए प्रतिस्थापन एपिक के लिए पुराने ईपीआईसी और अपेक्षित शुल्क, यदि लागू हो, के साथ फार्म ईपीआईसी–001 में एक आवेदन किया जाना होगा।

फोटोग्राफ

फार्म में इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान में विनिर्देशन (3.5 सेमी. x 3.5

www.rajteachers.com

सेमी. वाला 200 डीपीआई रिज़ोल्यूशन) का एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाया जाना चाहिए। इस फोटोग्राफ का प्रयोग निर्वाचक नामावली में आवेदक के फोटो को प्रिंट करने और एपिक को जारी करने के लिए किया जाएगा।

- फोटोग्राफ में आवेदक का सिर और कंधों के ऊपरी भाग का क्लोज अप दिखाया जाएगा।
- चेहरे में चित्र ऊर्ध्वाधर आयाम का 75% भाग लिया जाएगा।
- फोटोग्राफ उपयुक्त चमक और वैषम्य के साथ और निर्वाचक के चेहरे और स्पष्ट रूप से अभिज्ञेय आकृतियों के नैसर्गिक त्वचा भाव को प्रदर्शित करते हुए बिना किसी क्रीज और बिना स्याही के निशानों के साथ सुस्पष्ट फोकस में होगा। यह सहज अभिव्यक्ति और बंद मुंह के साथ निर्वाचक को सीधा कैमरे की ओर प्रदर्शित करता हुआ होगा।
- फोटोग्राफ में निर्वाचक की आँखे खुली एवं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए तथा बाल/कैप/हैट/टोपी/पर्दा/कवर/छाया/प्रतिबिंब आदि आंखों को अस्पष्ट न करें।
- यदि निर्वाचक चश्मा पहनता है तो चश्मे वाले फोटोग्राफ में रोशनी का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए और आंखे स्पष्ट रूप से अवश्य दिखाई देनी चाहिए। चश्मे में टिन्डिड लेंस नहीं होने चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चश्मे का फ्रेम निर्वाचक की आंखों के किसी भी भाग को कवर नहीं करता हो।
- फोटोग्राफ सादे हल्के रंग की पृष्ठभूमि की अवश्य होनी चाहिए तथा उसमें निर्वाचक के साथ कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु दिखाई नहीं देनी चाहिए।

वैकल्पिक विवरण

मद (ट) से (ड) में उपलब्ध करवाए जाने वाले विवरण की जगह वैकल्पिक है; यद्यपि, यह आवेदक के हित में है कि वह इन मदों में सूचना उपलब्ध करवाएं ताकि निर्वाचन प्राधिकारी नागरिक सेवाओं जैसे निर्वाचक को आवेदन फार्म की प्रक्रिया की स्थिति के बारे में सूचना देना, एपिक के जारी होने की सूचना/नोटिस भेजने तथा

निर्वाचनों के दौरान मतदान केन्द्र पर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकें।

घोषणा

1. ''घोषणा'' वाले भाग में सभी प्रविष्टियां सभी संदर्भों में अनिवार्यतः पूर्ण होनी चाहिए।
2. कृपया तारीख उल्लिखित करें जब से आवेदक दिए गए पते पर वर्तमान में रह रहा है यदि वह निश्चित तारीख याद करने में समर्थ नहीं है तो जिस महीने एवं वर्ष से वह उस स्थान पर रह रहा है का उल्लेख करना चाहिए।
3. यदि उसका नाम पहले ही किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है तो पूर्व के निर्वाचन क्षेत्र का नाम उल्लिखित करना चाहिए। अपने पूर्व पते का पूरा विवरण भी उपलब्ध करवाना चाहिए अन्यथा उसका आवेदन स्वयं ही प्रथम चरण में अस्वीकृत किया जा सकता है।
4. जो विकल्प उपयुक्त नहीं है उन्हें स्पष्ट रूप से काट दिया जाए।
5. कृपया नोट करें कि घोषणा वाले भाग में दिया गया किसी प्रकार का असत्य कथन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है।

आवेदन की स्थिति ट्रैक करना

आवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय आवेदक को उपलब्ध करवाई गई पंजीकरण आईडी को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल अर्थात् http://www.nvsp.in या मोबाइल ऐप/एसएमएस/ई-मेल में डालकर अपने आवेदन को ट्रेक कर सकता है और स्थिति जान सकता हैं बशर्ते कि फॉर्म 6 की मदों (ट) से (ड) में प्रस्तुत किए गए सम्पर्क विवरण अद्यतित हों।

वैयक्तिक सुनवाई

आवेदक के आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करते समय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) निम्नलिखित मामलों में वैयक्तिक सुनवाई कर सकता है:-

www.rajteachers.com

1. यदि वह बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की सत्यापन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, या
2. बीएलओ अनेक दौर के बावजूद दिए गए पते पर आवेदक को नहीं खोज पाया, या
3. परिवारिक लिंक के अन–उपलब्धता के कारण उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकी, या
4. 21 वर्ष से ऊपर के पहली बार आवेदक के रूप में उसने आयु की घोषणा दाखिल नहीं की है, या
5. आपत्तिकर्ता आवेदक की वैयक्तिक सुनवाई की मांग करता है।

आवेदन की अस्वीकृति का कारण

ईआरओ निम्नलिखित में से किसी भी एक कारण से आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है :

1. यदि यह समय पर ठीक रूप में/फार्म में नहीं हो।
2. आवेदक पहले ही उसी पते पर पंजीकृत हो।
3. वह अल्पआयु/भारतीय नागरिक/मूल निवासी नहीं होने के कारण पात्र नहीं है।
4. वह वैयक्तिक सुनवाई में आने/जांच में सहयोग करने/ईआरओ की संतुष्टि के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है।
5. पुनरावर्ती दौरों के बावजूद बीएलओ सत्यापन करने में असमर्थ होता है।

अपील का प्रावधान

आवेदक अपने आवेदन के संबंध में ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है।

1. **पुनरीक्षण के दौरान अपील** : पुनरीक्षण के दौरान अपील जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है। यद्यपि, अपील का निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाने या स्थगित करने का प्रभाव नहीं होगा। अपील को वरीयता केवल तभी दी जा सकती है यदि आवेदक ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं को सुनने या प्रस्तुतिकरण करने का

अधिकार प्राप्त कर लिया है। अपील आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होनी चाहिए। इसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है। इन दोनों मामलों में, अपील निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के 15 दिनों के अंदर अपीलीय अधिकारी को पहुंच जानी चाहिए।

2. **सतत् अद्यतनीकरण के दौरान अपील** : सतत् अद्यतनीकरण के दौरान आवेदक अपील करने के दो अवसर प्राप्त करता है। पहला प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष जो जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी है, आदेश के 15 दिनों की अवधि के अंदर अपील या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है ताकि उस अवधि के अंदर उसके पास पहुंच जाए। अपील एक ज्ञापन के रूप में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति साथ होगी।

दूसरी अपील जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील की तारीख से 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है ताकि उस अवधि के दौरान उनके पास पहुंच जाए। यह अपील ज्ञापन के रूप में आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए तथा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति साथ होगी।

www.rajteachers.com

अनुबंध-I (प्ररूप 6 के लिए)
सेवा कार्मिक द्वारा घोषणा
(प्ररूप-6 के साथ संलग्न किए जाने के लिए)

अपनी तैनाती के स्थान की निर्वाचक नामावली के भाग में साधारण निर्वाचक के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए मैं, ... (बड़े अक्षरों में नाम) रिकॉर्ड कार्यालय/कमांडेंट द्वारा इस आशय का जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ कि मैं .... (तारीख) से शांति स्थल (पीस स्टेशन), नामतः .... में तैनात हूँ।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में अपने आपको न तो पहले से पंजीकृत करवाया हुआ है और न ही किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली के अंतिम भाग में सेवा निर्वाचक के रूप में इस प्रकार के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उस विधि से अवगत हूँ जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र में या भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत करवाने को निषिद्ध करता है और यदि मेरा नाम भिन्न-भिन्न स्थानों पर इस तरह प्रकट होता है तो उन्हें वर्तमान स्थान, जिसके लिए प्ररूप 6 प्रस्तुत किया गया है, के सिवाय ऐसे सभी स्थानों से विलोपित कर दिया जाए।

सेवा कार्मिक के हस्ताक्षर

रैंक ....

स्थान : ....

तारीख : ....

अनुबंध-I (प्ररूप 6 के लिए)
शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(18-21 वर्ष के आयु समूह में पहली बार के आवेदक, जिसके पास आयु का प्रमाण नहीं है, के माता/पिता/गुरु द्वारा ली जाए/किया जाए।

मैं ....

जिसका नाम .... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाग संख्या .... में क्रम संख्या .... में पंजीकृत है, ईश्वर के नाम से शपथ लेता/लेती हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा शिष्य .... दिनांक 01 जनवरी, 20 .... की स्थिति के अनुसार– वर्ष का/की है और मेरे साथ रह रहा/रही है।

स्थान :

तारीख :

माता/पिता/गुरु के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती ....

द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 20 .... के .... दिवस को .... (बजे) .... (स्थान) पर ईश्वर के नाम से शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

अनुबंध–III
(प्ररूप 6 के लिए)
घोषणा*

(पहली बार नया पंजीकरण चाहने वाले 21+आयु–समूह के निर्वाचक के लिए)

मैं, ..., पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

निवासी ....

निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:–

मैंने .... निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है क्योंकि मेरा नाम भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है।

2. मुझे विगत में किसी भी निर्वाचन–क्षेत्र में किसी भी समय कोई भी निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी नहीं किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

*(निर्वाचक नामावली को तैयार/पुनरीक्षित करने के संबंधित मामलों में मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 तथा भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन एक दण्डनीय अपराध है)

अनुबंध–IV
(प्ररूप 6 के लिए)

इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे को सामने से उपदर्शित करते हुए हाल का पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फोटो (3.5 सेमी. x 3.5 सेमी.) चिपकाने के लिए स्थान)

छात्रावास/मेस/अन्यत्र रह रहे छात्रों द्वारा घोषणा (प्ररूप 6 के साथ संलग्न किया जाए)

मैं, ... (बड़े अक्षरों में नाम)

पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती, ...

(पैतृक स्थान का पता), ...

एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :–

(क) मैं .... (संस्थान का नाम) का वास्तविक छात्र हूँ और .... (पाठ्यक्रम का नाम) में (वर्ष) ....माह ....से ....वर्ष.......... (माह) तक ....पढ़ाई कर रहा हूँ।

*(ख) मैं वर्तमान में–

(i) .... (यदि छात्रावास/मेस में रह रहे हैं तो छात्रावास/मेस का कमरा संख्या/ब्लॉक संख्या/ब्लॉक नाम, आदि का उल्लेख करें।

या

*(ii) .... (यदि छात्रावास/मेस के बाहर अन्यत्र रह रहे हैं तो छात्रावास/मेस के बाहर निवास स्थान का पूरा डाक पता लिखें) पर रह रहा हूँ।

(ग) मैं अपने माता–पिता/अभिभावक के साथ अपने उपर्युक्त निवास पते पर अपने पैतृक स्थान की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहता हूँ/अपने पंजीकरण को बनाए रखना चाहता हूँ।

या

www.rajteachers.com

* मैं वर्तमान निवास के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होना चाहता हूँ।

मैं इस बात से अवगत हूँ कि निर्वाचन विधि के अधीन एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में या किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकरण करवाने की अनुमति नहीं है और मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के दांडिक उपबंधों से भी अवगत हूँ जो इस प्रकार है:-

"यदि कोई व्यक्ति (क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धिके, अथवा (ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में, ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान हैया विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।"

स्थान :

तारीख : **(छात्र के हस्ताक्षर)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त (क) पर घोषणा में दी गई सूचना और फोटो का सत्यापन संस्थान के रिकॉर्डों से कर लिया गया है तथा सही पाया गया है।

स्थान : **प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक/डीन के हस्ताक्षर और मुहर**

तारीख :

अनुबंध-V (प्ररूप 6 के लिए)

भारत निर्वाचन आयोग **अनुबंध-V** **प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी करने के लिए आवेदन**	प्ररूप आई.डी. ईसीआई-एपिक-001	
क	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र:	
	वि.स. निर्वाचन-क्षेत्र (सं. एवं नाम) :	
	जिला :	
ख	निर्वाचक का विवरण (निर्वाचक द्वारा भरे जाने के लिए)	

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी......................... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	महोदय/महोदया, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे एक डुप्लीकेट निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी किया जाए क्योंकि मेरे निर्वाचक विवरण में दोष सुधार किए जाने के कारण मेरा मूल कार्ड गुम/नष्ट/विकृत हो गया है या पते में परिवर्तन होने के कारण मैं अपने नए पते के साथ एक नया कार्ड प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मैं डुप्लीकेट एपिक जारी करने के शुल्क के साथ आपको अपना एपिक वापस कर रहा/रही हूँ। मेरा नाम उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है। डुप्लीकेट एपिक जारी करने के मेरे दावे के समर्थन में विवरण नीचे दिए गए है।

1. निर्वाचक का नाम :	2. मूल कार्ड की एपिक सं. (यदि ज्ञात हो)	
3. पिता/माता/पति* का नाम:	4. लिंग (पु./म.)	5. जन्म तिथि, यदि ज्ञान नहीं हो तो आयु वर्षों में, 1 जनवरी, 200......को......
6. पता		
(i) गृह/द्वारा संख्या :		
(ii) स्ट्रीट/मोहल्ला/सड़क/गली:		
(iii) क्षेत्र/ मोहल्ला :		

Duplicate 25 रु फीस

www.rajteachers.com

(iv) शहर/ग्राम :	(v) पिन कोड
(vi) पुलिस स्टेशन :	(vii) जिला :

(viii) डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारण :

1. मैं एपिक वीआरसी/सीएससी से संगृहित करूंगा/करूंगी।
2. मैं अपना एपिक डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ (स्व पता लिखित एवं डाक टिकट लगे लिफाफे संलग्न है)।
3. मैं एपिक बीएलओ से संगृहीत करूंगा/करूंगी।

( )
आवेदक के हस्ताक्षर

(ix) उपयुक्त बॉक्स पर सही का निशान लगाएं (✔) : ☐ मैं एतद्द्वारा अपना विकृत/पुराना कार्ड वापस करता/करती हूँ। ☐ मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे जारी पूर्ववर्ती कार्ड बाद की तारीख में प्राप्त होता है तो मैं उसे वापस कर दूंगा/दूंगी।	दिनांक : स्थान :	

अधिकारिक इस्तेमाल के लिए

ग एपिक जारी करने के लिए प्रमाणीकरण (ईआरओ के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने के लिए)			
भाग सं. :	भाग में निर्वाचक की क्रम सं. :	नामोद्दिष्ट फोटोग्राफी लोकेशन (डीपीएल) या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसई) की आईडी संख्या :	# टोकन नं. या रसीद नं.
पंजी सं.	पंजी में क्रम सं.		
सत्यापनकर्ता : दिनांक...../...../200.....	हस्ताक्षर		

घ निर्वाचक द्वारा आर–एपिक की अभिस्वीकृति	
(तारीख) : को डुप्लीकेट एपिक प्राप्त किया ☐☐☐☐☐☐ 200........	निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान

सामान्य अनुदेश

प्ररूप 6क

कौन प्ररूप–6क दाखिल कर सकता है–

1. विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी बाहर के देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है, और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथा–उल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन–क्षेत्र की नामावली में पंजीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्ररूप 6क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. आवेदक ने उस वर्ष की 1 जनवरी को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरण के लिए, यदि आवेदन 01–01–2017 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए है तो आवेदक द्वारा 01–01–2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो।

प्ररूप 6क की उपलब्धता

प्ररूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) कार्यालय/नामोदृष्टि लोकेशनों/अधिकृत केन्द्रों में उपलब्ध होंगे। इसे एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् http://www.nvsp.in/ से या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://www.eci.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

www.rajteachers.com

प्ररूप 6क में आवेदन कहां प्रस्तुत करना है–

आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिया गया आवेदक के सामान्य निवास का स्थान आता है। प्ररूप 6क में आवेदन ईआरओ को व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित ईआरओ को संबोधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है। आवेदन निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) अर्थात् http ://www.nvsp.in/ पर या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट (सीईओ की वेबसाइट के लिंक आयोग की वेबसाइट अर्थात् nttp://www.eci.nic.in/eci_main1/links.aspx पर दिए गए हैं) पर भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं। [भारत में सभी निर्वाचन–क्षेत्रों के ईआरओ के विवरण एवं डाक पते संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है जिसे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (http://www.eci.nic.in) के माध्यम से देखा जा सकता है।]

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

3. आवेदक का सम्पूर्ण चेहरा उपदर्शित करते हुए हल्की पृष्ठभूमि (अधिमानतः सफेद) के साथ हाल का पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फोटो चिपकाएं।

4. प्ररूप 6–क में सभी स्तंभों को भरें। नाम और अन्य विवरण, जैसाकि विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिया गया है, लिखे जाने चाहिए।

5. यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो उसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विवरणों वाले पासपोर्ट के संगत पृष्ठों तथा विधिमान्य वीज़ा पृष्ठांकन वाले पृष्ठ की फोटो–प्रति संलग्न की जानी चाहिए। ये फोटो–प्रतियां विधिवत् रूप से स्व–अभिप्रमामित होनी चाहिए। इन दस्तावेजों की स्व–अभिप्रमाणित फोटो–प्रतियों के बगैर प्राप्त आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

6. यदि आवेदन ईआरओ के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ यथा–उल्लिखित पासपोर्ट के संगत पृष्ठों की फोटो–प्रति संलग्न की जानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पासपोर्ट सत्यापन किए जाने के उपरांत तत्काल लौटा दिया जाएगा।

मतदान

7. यह नोट किया जाए कि आवेदक के नाम के पंजीयन के बाद वे निर्वाचन–क्षेत्र में निर्वाचन में मत डालने में सक्षम हो पाएंगे बशर्ते वे मतदान के दिन अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केन्द्र पर प्रत्यक्षतः उपस्थित हों।

———

www.rajteachers.com

सामान्य अनुदेश

प्ररूप 7

प्ररूप–7 कौन दाखिल कर सकता है

1. **कृपया नोट करें कि आवेदन प्ररूप या रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा पंजीकरण के लिए प्ररूप प्रक्रियाबद्ध करने के लिए, अधिकृत केन्द्रों में निर्वाचन आयोग द्वारा, अनुमोदित पेड सेवाओं के सिवाय, कोई भी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।**
2. निर्वाचक नामावली के किसी भाग में किसी नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति या निर्वाचक नामावली के किसी भाग में पहले से ही सम्मिलित किसी नाम के विलोपन के लिए उसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिसका नाम निर्वाचक नामावली के उस भाग में पहले से ही सम्मिलित है। एक निर्वाचक अपने स्वयं के संदर्भ में डुप्लीकेट प्रविष्टि का विलोपन करने का अनुरोध करते हुए प्ररूप 7 दाखिल कर सकता है।

प्ररूप–7 की उपलब्धता

प्ररूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) कार्यालय/नामोद्दिष्ट लोकेशनों/अधिकृत केन्द्रों में उपलब्ध होंगे। इसे एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् http://www.nvsp.in/ से या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://www.eci.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

प्ररूप–7 कब दाखिल किया जा सकता है

1. प्रारूप नामावली में किसी प्रविष्टि के प्रस्तावित अंतर्वेशन के प्रति आपत्ति व्यक्त करने के लिए निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के

पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए दिए गए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। पुनरीक्षण कार्यक्रम की जब घोषणा की जाती है, तब उपर्युक्त अवधि के बारे में समुचित प्रचार–प्रसार किया जाता है।

2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
3. अंतिम निर्वाचक नामावली से किसी प्रविष्टि के विलोपन के लिए आवेदन कभी भी, उस समय भी दाखिल किया जा सकता है जब पुनरीक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा हो। गैर पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में अवश्य दाखिल किया जाना चाहिए।

प्ररूप–7 कहां दाखिल किया जाए

1. **पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन नामोद्दिष्ट लोकेशनों पर दाखिल किया जा सकता है जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है (अधिकतर मतदान केन्द्र लोकेशनों पर)। इसके अलावा,आवेदन *निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत स्थानों* पर और निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में भी दाखिल किए जा सकते हैं। *आवेदन निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीसपी) अर्थात्* http://www.nvsp.in/ पर या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट *(सीईओ की वेबसाइट के लिंक आयोग की वेबसाइट अर्थात्* <u>http://www.eci.nic.in/eci_main1/links.aspx</u> *पर दिए गए हैं)* पर भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।**
2. **जब पुनरीक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा हो तो आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल किया जाना जाना चाहिए या उपर्युक्त के अनुरूप ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।**

प्ररूप–7 कैसे भरें

www.rajteachers.com

1. आवेदन उस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां उसे नामावली में पंजीकृत कोई निर्वाचक, प्रारूप निर्वाचक नामावली में एक प्रविष्टि के प्रस्तावित अंतर्वेशन के प्रति आपत्ति व्यक्त करता है। खाली स्थान में निर्वाचन-क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. **उस व्यक्ति का विवरण जिसके नाम का अंतर्वेशन करने में आपत्ति व्यक्त की गई है/उस व्यक्ति का विवरण जिसकी प्रविष्टि विलोपित की जानी है:**

तीन विकल्पों में से पहला विकल्प निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् संगत है। दूसरे **शब्दों** में, नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय विलोपनों की सूची में प्रारूप नामावली में आक्षेपित प्रविष्टि को दर्शाना। दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिन प्रकाशन के पश्चात् नामावली के सतत् अद्यतनीकरण के दौरान संगत है। दूसरे शब्दों में, अंतिम निर्वाचक नामावली में पहले ही अंतर्वेशित प्रविष्टि के विलोपन के लिए।

(कृपया प्ररूप भरते समय उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)

सिवाय उस व्यक्ति के नाम के, जिसकी प्रविष्टि के अंतर्वेशन पर आपत्ति की गई है या जिसके विलोपन की अपेक्षा की गई है, निर्वाचक नामावली के अन्य विवरण, **निर्वाचक नामावली के उस भाग में प्रविष्टि की भाग सं., क्रम सं. और उस व्यक्ति को जारी किये गये पहचान कार्ड की संख्या** इत्यादि भी भरी जानी उपेक्षित है। ये विवरण निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में उपलब्ध हैं। निर्वाचक नामावली की **भाग सं.** निर्वाचक नामावली के दायें शीर्ष कोने में मुद्रित होती है। प्रत्येक प्रविष्टि को एक क्रम संख्या दी गयी है। कृपया निर्वाचक नामावली की जांच करें और वह क्रम संख्या लिखें जिसमें उस व्यक्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है या विलोपन की अपेक्षा की गई है, सूचीबद्ध है। यदि उस व्याति को पहले ही पहचान कार्ड जारी किया

जा चुका है तो उसकी संख्या भी उस प्रविष्टि के सामने मुद्रित होगी। कृपया दिए गए स्थान में उस पहचान कार्ड की पूरी संख्या लिखें।

प्रत्येक प्रविष्टि के अंतर्वेशन पर आपत्ति व्यक्त करने/विलोपन चाहने के लिए तीन में से प्रत्येक विकल्पों के लिए अलग-अलग आवेदन दिया जाना अपेक्षित है। दूसरे शब्दों में, केवल एक विकल्प को चुनने की अनुमति है।

3. **आपत्तिकर्ता का विवरण**

कोई "आपत्तिकर्ता" प्ररूप-7 में केवल उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में आवेदन दाखिल कर सकता है जिनका नाम निर्वाचक नामावली के उसी भाग में शामिल है, जहां आपत्तिकर्ता पंजीकृत है। आपत्तिकर्ता को दिए गए स्थान में अपना नाम, उपनाम सहित, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और वह क्रम संख्या, जिस पर निर्वाचक नामावली के उस भागमें उसका नाम पंजीकृत है, भरनी है।

4. **आपत्ति/विलोपन का/के कारण**

आवेदक 'आपत्तिकर्ता'को वह/वे कारण अवश्य विनिर्दिष्ट करना/करने चाहिए कि उसके अनुसार जिसके नाम पर आपत्ति की जा रही है वह निर्वाचक नामावली के उस भाग में अंतर्वेशित किए जाने के लिए क्यों निरर्ह है अर्थात् मृत्यु हो जाने के कारण, स्थानान्तरण के कारण या पंजीकृत पते पर सामान्य रूप से निवास न करने के कारण इत्यादि। नाम के विलोपन के लिए दिए गए कारणों को सिद्ध करने के लिए सबूतों को प्रस्तुत करने का दायित्व आपत्तिकर्ता का होगा।

5. **घोषणा**

आवेदन के आखिरी भाग में आवेदक को यह घोषणा अवश्य देनी चाहिए कि आवेदन में उल्लिखित तथ्य एवं वितरण उसकी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। आवेदक जिस तारीख से दिए गए पते पर निवास कर रहा है उसका सुस्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए। मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय है।

— -- —

www.rajteachers.com

सामान्य अनुदेश

प्ररूप 8

प्ररूप–8 कौन दाखिल कर सकता है

1. कृपया नोट करें कि आवेदन प्ररूप या रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा पंजीकरण के लिए प्ररूप प्रक्रियाबद्ध करने के लिए, अधिकृत केन्द्रों में निर्वाचन आयोग द्वारा, अनुमोदित पेड़ सेवाओं के सिवाय, कोई भी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।
2. निर्वाचक नामावली में पहले से ही मुद्रित अपने विवरणों में त्रुटि–सुधार करवाने की इच्छा रखने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिसका नाम निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित है। कोई व्यक्ति प्ररूप 8 में किसी अन्य व्यक्ति के विवरणों में संशोधन करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल नहीं कर सकता है।

प्ररूप–8 की उपलब्धता

प्ररूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (एईआरओ) कार्यालय/नामोद्दिष्ट लोकेशनों/अधिकृत केन्द्रों में उपलब्ध होंगे। इसे एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् http://www.nvsp.in/ से या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् http://www.eci.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

प्ररूप–8 कब दाखिल किया जा सकता है

1. निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट किसी व्यक्ति के विवरणों में संशोधन करने के लिए प्रपत्र 8 भरा जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशित होने के उपरान्त आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
3. अंतिम निर्वाचक नामावली से किसी प्रविष्ट के विलोपन के लिए आवेदन कभी भी, उस समय भी दाखिल किया जा सकता है जब पुनरीक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा हो। गैर पुनरीक्षण–अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में अवश्य दाखिल किया जाना चाहिए।

प्ररूप–8 कहां दाखिल किया जाए।

1. **पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन नामोद्दिष्ट लोकेशनों पर दाखिल किया जा सकता है जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है (अधिकतर मतदान केन्द्र लोकेशनों पर)। इसके अलावा, आवेदन *निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत स्थानों पर* और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में भी दाखिल किए जा सकते हैं। आवेदन *निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल(एनवीसपी) अर्थात्* http://www.nvsp.in/ पर या संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट *(सीईओ की वेबसाइट के लिंक आयोग की वेबसाइट अर्थात्* <u>http://www.eci.nic.in/eci_main1/Links.aspx</u> *पर दिए गए हैं) पर भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।***
2. **जब पुनरीक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा हो तो आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल किया जाना चाहिए या *उपर्युक्त के अनुरूप* ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।**

प्ररूप–8 कैसे भरा जाना चाहिए

1. आवेदन उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए जिसमें आवेदक का नाम पहले से ही अंतर्वेशित है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम का रिक्त स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. आवेदक को आवेदन के भाग–1 में अपना नाम उस रूप में लिखना चाहिए जैसा कि उसे निर्वाचक नामावली में प्रकट होना चाहिये। यदि निर्वाचक नामावली में

www.rajteachers.com

मुद्रित आवेदक के नाम के आद्यक्षर संक्षिप्त रूप में हैं और वे उसे विस्तृत रूप में मुद्रित कराना चाहते हैं तो वे अपना पूरा नाम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। पहले खाने में उपनाम को छोड़कर शेष पूरा नाम लिखा जाना चाहिये तथा उपनाम दूसरे खाने में लिखा जाना चाहिये। यदि आवेदक का कोई उपनाम नहीं है तो केवल दिया गया नाम ही अंकित करें। जाति का उल्लेख सिर्फ वहीं किया जाना है, जहां जाति का नाम निर्वाचक के नाम के भाग के रूप में अथवा उपनाम के रूप में प्रयुक्त है अन्यथा नहीं। सम्मान सूचक पदवियां जैसे श्री, श्रीमती, कुमारी, खान, बेगम,पंडित इत्यादि उल्लिखित नहीं की जानी चाहिए।

3. निर्वाचक नामावली के जिस भाग में आवेदक का नाम सूचीबद्ध है उसकी भाग संख्या तथा उस भाग में क्रम संख्या को कृपया भरें। यह अनिवार्य है।

4. जन्म-तिथि में त्रुटि-सुधार करने के लिए दस्तावेजी सबूत संलग्न किए जाने चाहिए जैसा कि नीचे दिया गया है:

(i) नगर पालिका प्राधिकारियों या जन्म या मृत्यु पंजीयक के जिला कार्यालय द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र या बपतिस्मा प्रमाण-पत्र; या

(ii) आवेदक ने जिस विद्यालय (सरकारी/मान्यता प्राप्त) में या किन्हीं अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अंतिम बार पढ़ाई की हो उसके द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र; या

(iii) यदि व्यक्ति ने 10वीं या उससे ऊपर की कक्षा उत्तीर्ण की हो तो उन्हें कक्षा 10 के अंक पत्र की एक प्रति देनी चाहिए बशर्ते उसमें जन्म तिथि के प्रमाणस्वरूप जन्म तिथि दर्ज हो; या

(iv) कक्षा 8 का अंक पत्र यदि उसमें जन्म तिथि दर्ज हो; या

(v) कक्षा 5 का अंक पत्र यदि उसमें जन्म तिथि दर्ज हो; या

(vi) यदि व्यक्ति कक्षा 10 तक शिक्षित नहीं हो तो उसके माता/पिता में से किसी द्वारा अनुबंध-। (मांगे जाने पर रजिस्ट्रेशन प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा) में दिए गए विहित फार्मेट में घोषणा-पत्र (जिन मामलों में आयु के प्रमाणस्वरूप माता-पिता की घोषणा दी जाती है, उनमें आवेदक को बीएलओ/एईआरओ/ईआरओ के समक्ष अपने आपको सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा); या

(vii) यदि व्यक्ति कक्षा 10 तक शिक्षित नहीं है और माता/पिता में से दोनों ही जीवित नहीं है तो संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या संबंधित नगर निगम/नगर पालिका समिति के सदस्य द्वारा दिया गया उसकी आयु का प्रमाण-पत्र।

(viii) भारतीय पासपोर्ट

(ix) पैन कार्ड

(x) ड्राइविंग लाइसेंस

(xi) युआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड

टिप्पणी : आयु का दस्तावेजी प्रमाण केवल उन्हीं मामलों में अपेक्षित होगा, जिनमें आवेदक की आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष के बीच हो। अन्य सभी मामलों में, आवेदक द्वारा अपनी आयु की घोषणा आयु के प्रमाणस्वरूप ली जाएगी।

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का विवरण

1. यदि निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदक को पहले ही एक फोटो पहचान कार्ड जारी किया गया है तो कार्ड संख्या (अग्र भाग पर मुद्रित) तथा कार्ड के जारी करने की तिथि (पश्च भाग पर मुद्रित) का आवेदन प्ररूप के भाग (घ) में दिए गए स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए। कृपया कार्ड के दोनों भागों की स्व-अभिप्रमाणित फोटो-प्रति संलग्न करें।

2. यदि आवेदक प्ररूप 8 के माध्यम से की गई प्रविष्टियों में त्रुटि-सुधार के कारण एक नया एपिक चाहते हैं तो ऐसे प्रतिस्थापक एपिक जारी करने के लिए एपिक-001 में आवेदन (अनुबंध-।। के रूप में दिए गए फार्मेट के अनुसार), पुराने एपिक और प्ररूप-8 के आधार पर ईआरओ द्वारा दोष-सुधार किए जाने के बाद अपेक्षित शुल्क के साथ, किए जाने हैं।

शुद्ध की जाने वाली प्रविष्टियों के विवरण

1. आवेदन के भाग (ङ) में आवेदक को उस प्रविष्टि/उन प्रविष्टियों पर जिसे/जिन्हें शुद्ध किया जाना है, साफ-साफ तरीके से सही का निशान लगाना चाहिए। इसलिए यह आवेदन का महत्वपूर्ण भाग है।

www.rajteachers.com

2. अब देश के अधिकांश हिस्सों में निर्वाचक नामावली निर्वाचकों के फोटो के साथ मुद्रित की जाती है। यदि एक गलत फोटो को शुद्ध करने के लिए आवेदन किया गया हो तो आवेदक आवेदन के भाग (ङ) में ''फोटोग्राफ'' पर सही का निशान लगा सकते हैं और अपना हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो आवेदन के साथ कृपया संलग्न करें। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में त्रुटि-सुधार की दशा में कृपया प्ररूप के मद (ङ) के ठीक नीचे इस प्रयोजनार्थ दिए गए खाने में ठीक-ठीक विवरणों (जिसे प्रस्तावित त्रुटि-सुधार के बाद होना चाहिए) का उल्लेख करें।

3. अभिस्वीकृति एवं सूचना अंशों पर पूरा नाम और पता भी दिया जाना चाहिए।

4. आवेदक प्ररूप में मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी दे सकते हैं जो ऐच्छिक है क्योंकि यदि इसे उपलब्ध कराया जाता है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक के साथ,जरूरत पड़ने पर, आगे संपर्क स्थापित करने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है।

अनुबंध-I (प्ररूप 8 के लिए)

शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

(18–21 वर्ष के आयु समूह में पहली बार के आवेदक, जिसके पास आयु का प्रमाण नहीं है, के माता/पिता/गुरु द्वारा ली जाए/किया जाए।

मैं ....

निवास का नाम ....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की भाग संख्या .... में क्रम संख्या .... में नामांकित है, ईश्वर के नाम से शपथ लेता/लेती हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/मेरी पुत्री/मेरा शिष्य .... दिनांक 01 जनवरी, 20 .... की स्थिति के अनुसार- वर्ष का/की है और मेरे साथ रह रहा/रही है।

स्थान :

तारीख :

माता/पिता/गुरु के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती ....

द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 20 .... के .... दिवस को ....

(बजे) .... (स्थान)

पर ईश्वर के नाम से शपथ ली गई/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

अनुबंध–II (प्ररूप 8 के लिए)

भारत निर्वाचन आयोग **(अनुबंध–II)** **प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी करने के लिए आवेदन**	प्ररूप आई.डी. ईसीआई–एपिक–001

क	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रः	
	वि.स. निर्वाचन–क्षेत्र (सं. एवं नाम) :	
	जिला :	
ख	निर्वाचक का विवरण (निर्वाचक द्वारा भरे जाने के लिए)	

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी......................... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	महोदय/महोदया, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे एक डुप्लीकेट निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी किया जाए क्योंकि मेरे निर्वाचक विवरण में त्रूटि–सुधार किए जाने के कारण मेरा मूल कार्ड गुम/नष्ट/विकृत हो गया है या पते में परिवर्तन होने के कारण मैं अपने नए पते के साथ एक नया कार्ड प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मैं डुप्लीकेट एपिक जारी करने के शुल्क के साथ आपको अपना एपिक वापस कर रहा/रही हूँ। मेरा नाम उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है। डुप्लीकेट एपिक जारी करने के मेरे दावे के समर्थन में विवरण नीचे दिए गए है।

1. निर्वाचक का नाम :	2. **मूल कार्ड की** एपिक सं. **(यदि ज्ञात हो) :**	
3. पिता/माता/पति का नामः	4. लिंग (पु./म.)	5. जन्म तिथि, यदि ज्ञात नहीं हो तो आयु वर्षों में, 1 जनवरी, 200......को......
6. पता		
(i) गृह/द्वारा संख्या :		
(ii) गली/मोहल्ला/सड़क :		
(iii) क्षेत्र/ मोहल्ला :		

(iv) शहर/ग्राम :	(v) पिन कोड
(vi) पुलिस स्टेशन :	(vii) जिला :

(viii) डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारण :

1 मैं एपिक बीआरसी/सीएससी से संगृहित करूंगा/करूंगी।

2 मैं अपना एपिक डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ (स्व पता लिखित एवं डाक टिकट लगे लिफाफे संलग्न हैं)।

3 मैं एपिक बीएलओ से संगृहीत करूंगा/करूंगी।

( )

आवेदक के हस्ताक्षर

(ix) उपयुक्त बॉक्स पर सही का निशान लगाएं (✔) मैं एतद्द्वारा अपना विकृत/पुराना कार्ड वास करता/करती हूँ मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे जारी पूर्ववर्ती कार्ड बाद की तारीख में प्राप्त होता है तो मैं उसे वापस कर दूंगा/दूंगी।	दिनांक : स्थान :	

अधिकारिक इस्तेमाल के लिए

ग एपिक जारी करने के लिए प्रमाणीकरण (ईआरओ के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने के लिए)

भाग सं. :	भाग में निर्वाचक की क्रम सं. :	नामोदिष्ट फोटोग्राफी लोकेशन (डीपीएल) या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसई) की आईडी संख्या :	# टोकन नं. या रसीद नं.
पंजी सं.	पंजी में क्रम सं.		
सत्यापनकर्ता : दिनांक..../..../200.....	हस्ताक्षर		

घ निर्वाचक द्वारा आर–एपिक की अभिस्वीकृति

(तारीख) : को डुप्लीकेट एपिक प्राप्त किया 200.........	निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान

www.rajteachers.com

सामान्य अनुदेश

फार्म–8क

प्ररूप–8 कौन दाखिल कर सकता है–

1. कृपया नोट करें कि आवेदन प्ररूप या रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा पंजीकरण के लिए प्ररूप प्रक्रियाबद्ध करने के लिए, अधिकृत केन्द्रों में निर्वाचन आयोग द्वारा, अनुमोदित पेड सेवाओं के सिवाय, कोई भी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।
2. एक व्यक्ति जिसका नाम चालू निर्वाचक नामावलीमें पहले से ही अंतर्वेशित है और जो एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हुआ है उसी निर्वाचन–क्षेत्र के अलग स्थान में अपने से संबंधित प्रविष्टियों के अन्यत्र रखे जाने के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है।

प्ररूप–8क की उपलब्धता

प्ररूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) कार्यालय/नामोदिष्ट लोकेशनों/अधिकृत केन्द्रों में उपलब्ध होंगे। इसे एनवीएसपी पोर्टल अर्थात् *http://www.nvsp.in/* से या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् *http ://www.eci.nic.in* से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

प्ररूप–8क कब दाखिल किया जा सकता है–

1. एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अपने स्वयं के या किसी और से सम्बन्धित प्रविष्टि के अन्यत्र रखे जाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की जाती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में समुचित प्रचार–प्रसार किया जाता है।
2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।
3. पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी उसी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नाम अन्यत्र रखे जाने के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर–पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

प्ररूप–8क कहां दाखिल किया जाए–

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन नामोदिष्ट लोकेशनों पर दाखिल किया जा सकता है जहाँ प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है (अधिकतर मतदान केन्द्र लोकेशनों पर)। इसके अलावा, आवेदन निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत स्थानों पर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में भी दाखिल किए जा सकते हैं। आवेदन निर्वाचन आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (एनवीएसपी) अर्थात् (http://www.eci.nic.in/eci_main1/Links.aspx पर दिए गए हैं) पर भी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।
2. जब पुनरीक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा हो तो आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल किया जा सकता है या *उपर्युक्त के अनुरूप* ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।

प्ररूप–8क कैसे भरा जाना चाहिए–

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां आवेदक सम्बन्धित प्रविष्टि का प्रतिस्थापना चाहते हैं। निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का खाली स्थान में उल्लेख किया जाना चाहिए।
2. नाम, भाग संख्या, उस निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या जहां नाम पहले से प्रविष्ट है, मतदाता फोटो पहचान कार्ड (एपिक) संख्या (जैसाकि निर्वाचक नामावली में मुद्रित हैं) भरें।
3. आवेदन के भाग (छ) में कृपया नये स्थान का पूरा पता लिखें जहाँ आवेदक/

www.rajteachers.com

संबंधित व्यक्ति ने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर सामान्य निवास का अपना स्थान स्थानान्तरित कर लिया है। कृपया अपूर्ण पता न लिखें क्योंकि ऐसा होने पर सम्भव है कि पते को निर्वाचक नामावली के उस संगत भाग में संयोजित करना सम्भव नहीं हो जिसमें प्रविष्ट प्रतिस्थापित की जानी अपेक्षित हो।

4. सूचना अंशों पर पूरा नाम एवं पता दिया जाना चाहिए। आवेदक प्ररूप में अपना मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई डी दें, जो वैकल्पिक है,क्योंकि यदि ये दिए जाते हैं तो इनका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जरूरत पड़ने पर आवेदक के साथ आगे पत्र–व्यवहार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रतिस्थापन एपिक

यदि आवेदक नए पते के साथ प्रतिस्थापन एपिक चाहते/चाहती हैं तो उन्हें उसके लिए प्ररूप–8क के आधार पर नए स्थान पर पंजीयन होने के बाद प्ररूप एपिक–001 में आवेदन (अनुबंध–I के रूप में दिए गए फार्मेट के अनुसार), प्रतिस्थापन एपिक के लिए अपेक्षित शुल्क और पुराने एपिक के साथ करना चाहिए।

अनुबंध–I (प्ररूप 8क के लिए)

भारत निर्वाचन आयोग **(अनुबंध–I)** **प्रतिस्थापन निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी करने के लिए आवेदन**			प्ररूप आई.डी. ईसीआई–एपिक–001
क	राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रः		
	वि.स. निर्वाचन–क्षेत्र (सं. एवं नाम) :		
	जिला :		
ख	निर्वाचक का विवरण (निर्वाचक द्वारा भरे जाने के लिए)		
सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी....................... विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	महोदय/महोदया, मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे एक डुप्लीकेट निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड जारी किया जाए क्योंकि मेरे निर्वाचक विवरण में दोष सुधार किए जाने के कारण मेरा मूल कार्ड गुम/नष्ट/विकृत हो गया है या पते में परिवर्तन होने के कारण मैं अपने नए पते के साथ एक नया कार्ड प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मैं डुप्लीकेट एपिक जारी करने के शुल्क के साथ आपको अपना एपिक वापस कर रहा/रही हूँ। मेरा नाम उपर्युक्त निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है। डुप्लीकेट एपिक जारी करने के मेरे दावे के समर्थन में विवरण नीचे दिए गए है :		
1. निर्वाचक का नाम :		2. **मूल कार्ड** की एपिक सं. **(यदि ज्ञात हो)**	
3. पिता/माता/पति का नामः		4. लिंग (पु./म.)	5. जन्म तिथि, यदि ज्ञात नहीं हो तो आयु वर्षों में, 1 जनवरी, 200......को.....
6. पता			
(i) गृह/द्वारा संख्या :			
(ii) गली/मोहल्ला/सड़क :			
(iii) क्षेत्र/ मोहल्ला :			

www.rajteachers.com

(iv) शहर/ग्राम :	(v) पिन कोड						
(vi) पुलिस स्टेशन :	(vii) जिला :						

(viii) डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन करने के कारण :

1. मैं एपिक वीआरसी/सीएससी से संगृहित करूंगा/करूंगी।
2. मैं अपना एपिक डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ (स्व पता लिखित एवं डाक टिकट लगे लिफाफे संलग्न है)।
3. मैं एपिक बीएलओ से संगृहीत करूंगा/करूंगी।

( )

आवेदक के हस्ताक्षर

(ix) उपयुक्त बॉक्स पर सही का निशान लगाएं (✔) ☐ मैं एतद्द्वारा अपना विकृत/पुराना कार्ड वापस करता/करती हूँ ☐ मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मुझे जारी पूर्ववर्ती कार्ड बाद की तारीख में प्राप्त होता है तो मैं उसे वापस कर दूंगा/दूंगी।	दिनांक : स्थान :	

अधिकारिक इस्तेमाल के लिए

ग | एपिक जारी करने के लिए प्रमाणीकरण (ईआरओ के प्रतिनिधि द्वारा भरे जाने के लिए)

भाग सं. :	भाग में निर्वाचक की क्रम सं. :	नामोद्दिष्ट फोटोग्राफी लोकेशन (डीपीएल) या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसई) की आईडी संख्या :	# टोकन नं. या रसीद नं.
पंजी सं.	पंजी में क्रम सं.		
सत्यापनकर्ता : दिनांक...../...../200.....	हस्ताक्षर		

घ | निर्वाचक द्वारा आर-एपिक की अभिस्वीकृति

(तारीख) : को डुप्लीकेट एपिक प्राप्त किया ☐☐☐☐☐☐ 200.........	निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान

www.rajteachers.com